न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), अभनपुर, जिला रायपुर, छ0ग0

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202204111100046 अ/62 वर्ष 2021–22

शासन

विरूद्ध

श्री रघुनंदन साहू,
सरपंच, ग्राम पंचायत, टीला,
तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर छ0ग0

.....अनावेदक

//आदेश//
(पारित दिनांक 14/8/2024)

कार्यालय तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ0ग0 का ज्ञापन क्रमांक 406/वा–1/तह0/2022 नवापारा दिनांक 21/04/2022 के माध्यम से आवेदकगण रामसेवक साहू एवं अन्य पचं ग्राम टीला द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई उपरांत ग्राम टीला, प0ह0नं 33 रा0नि0मं0 तोरला, तहसील गोबरा नवापारा स्थित शासकीय घांस भूमि खसरा नंबर 1283 रकबा 12.53 हे0 पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। ग्राम टीला के सरपंच द्वारा वृक्ष कटाई हेतु पंचायत प्रस्ताव कर मुनादी कराकर नीलामी की गई है, मौके पर 39 शीशम, 08 बबूल और 01 नीलगिरी के वृक्ष का कटा हुआ ठूंठ पाये जाने, इस प्रकार कुल 48 वृक्ष कटे होने की पुष्टि होने इसमें से 05 वृक्ष शीशम को वन विभाग द्वारा डिपो ले जाया गया, 07 वृक्ष बबूल मौके पर कटा हुआ पडा था जिसे जप्त कर कोटवार टीला के सुपुर्द किया गया तथा शेष कटे वृक्ष मौके में नहीं पाये जाने, कुल कटे हुए 48 वृक्षों में 28 वृक्ष शीशम गीला, 11 वृक्ष शीशम सूखा, बबूल के 05 वृक्ष गीला एवं 03 सूखा तथा 01 नीलगिरी का गीला वृक्षों का मौके पर ठूंठ पाये जाने। उक्त कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है। इस प्रकार अनावेद द्वारा छ0ग0 भू–राजस्व संहिता की धारा 240, 253 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 में देय प्रावधान अनुसार अनावेदक श्री रघुनंदन साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत, टीला, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर छ0ग0 को राशि 25000/–रू. अक्षरी पच्चीस हजार रूपये की अर्थदण्ड से आरोपित किये जाने एवं जप्तशुदा लकड़ी वन विभाग को सुपुर्द में दिये जाने का आदेश दिनांक 22.08.2022 पारित किया गया है।

2/ उक्त आदेश दिनांक 22.08.2022 के विरूद्ध अनावेदक/अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपील प्रकरण कमांक 202210113000005 /04 अ/62 वर्ष 2022–23 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 के अनुसार प्रथम अपील सारहीन होने से निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रकरण कमांक 202302970100019/177 अ/62 वर्ष 2022–23 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के

Scanned with CamScanner

अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस न्यायालय को प्रकरण में अपीलार्थी को पक्ष समर्थन व साक्ष्य तथा प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत विधि अनुकूल यथोचित आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है।

3/ माननीय न्यायालय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के पालन में प्रकरण पुनः प्रारंभ कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक के द्वारा स्वयं सहित अपने साक्षी संतोष देवांगन, जगदीश साहू, शोभाराम वर्मा का आदेश 18 नियम 4 व्य0प्र0संहिता के अंतर्गत शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से कथन किया है कि ग्राम पंचायत टीला में नदी किनारे शासकीय भूमि पर वृक्ष लगाये गये थे, जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा कुछ सुखे वृक्षों को गिरने से आस–पास के चलने वालों तथा जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इस बात को लेकर ग्राम पंचायत में बात रखा गया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा यह मामला पंचायत क्षेत्राधिकार में नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं किया, परंतु ग्राम पंचायत ने ग्रामवासियों के निवेदन पर ग्रामसभा में अनुमोदन किया गया कि सुखे गिरे हुए पेड़ों को ले जावे। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा न कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न अनावेदक के जानकारी में न कोई आदेश जारी किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में वृक्षों के कटाई के बारे में लिखा है, परंतु वृक्ष कब और किसने काटा था इसका उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत टीला में उक्त वृक्षों के कटाई की शिकायत की गई है जिस पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से जानकारी लिया जाना बताया गया है इस संबंध में तहसीलदार द्वारा न ही सरपंच और न ही ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई है। ग्राम पंचायत टीला के द्वारा वृक्षों को ले जाने हेतु कोई मुनादी नहीं कराया गया था। तहसीलदार के द्वारा शिकायतकर्ताओं के किसी भी साक्षी का कब बयान लिया गया इस तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं है। शिकायत के साक्षियों के द्वारा ग्राम पंचायत को कोई राशि नहीं दी गई और न ही कोई रसीद दिया गया है। चुनाव में शिकायतकर्ता अनावेदक से पराजित हो जाने के पश्चात यहा झूठी शिकायत प्रस्तुत किया है, क्योंकि पूर्व में अनावेदक के विरूद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त हुआ है।

4/ प्रकरण में अनावेदक की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य रूप से उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया है तथा लिखित तर्क में संहिता की धारा 253 के शर्तों के अवलंबन लेकर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 निरस्त किये जाने का प्रार्थना किया गया है।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत शिकायत, जांच प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथन, लिखित तर्क का परिशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम टीला स्थित शासकीय घांस भूमि खसरा नंबर 1283 रकबा 12.53 हे. पर स्थित वृक्षों की कटाई अनावेदक के द्वारा नहीं कराया जाना पाया जाता है। पूर्व में कटे हुए वृक्षों को वन विभाग के सुपुर्द में दिया जा चुका है। फलस्वरूप प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है॥

यह आदेश आज दिनांक 14./8./2024 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(रवि सिंह)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अभनपुर

Scanned with CamScanner